न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2023 (राजसमन्द डिक्री)

दाखुबाई पत्नी भंवरसिंह जी, जाति सोलंकी राजपूत पिता भीमसिंह जी राजपूत, निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण पिता चुन्नीलाल जी पालीवाल पार्टनर नटराज ग्रेनाईट, निवासी छोटी मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द हाल अरिहन्त नगर, नाथद्वारा रोड़, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. कमलेश पिता गणेशलाल जी कच्छारा, जाति कच्छारा जैन पार्टनर नटराज ग्रेनाईट, निवासी कालिन्दी विहार कॉलोनी, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दि. 18–10–2022 प्रकरण संख्या 99/2021

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री अतुल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रे.सं. 1, 2

–––::–––

निर्णय **दिनांक 20–06–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादरेचों का गुड़ा में आराजी नंबर 18 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी संख्या 1 का 44/90 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 44/90 हिस्सा अर्थात वादीगण का 88/90 हिस्सा है, शेष 2/90 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। उक्त भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु कुछ समय से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के आपसी संबंधों में कटुता आ जाने एवं लगान आदि जमा कराने में काफी असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया [illegible] वादीगण का 88/90 हिस्सा पृथक से अंकित किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–04–2022 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18–10–2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–06–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को सम्मन तामिल नहीं होने से उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 25–03–2023 को रेस्पोन्डेन्टगण मौके पर आये एवं अपीलान्ट को बेदखल करने का प्रयास किया, तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि होकर उसे विरासत से अपने पिता से प्राप्त हुई है। अपीलान्ट अपने पति के साथ अपने सुसराल नया कुआ में रहती है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलान्ट को सम्मन तामिल नहीं हुए एवं जिस प्रकार तामिल करायी गयी वह संदेहास्पद है। अपीलान्ट की तामिल नहीं होने से वह अपना पक्ष नहीं रख सकी। अपीलान्ट के हिस्से पर एक कच्चा कमरा बना हुआ है, जिसे अपीलान्ट अपनी समझकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है तथा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन पत्र तैयार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार इस भूमि के सहखातेदार राजेन्द्र पिता बंशीलाल हींगड, प्रकाशचन्द्र पिता फतेहलाल जैन, गोपाललाल पिता सोहनलाल ईनाणी, हंसमुख पिता छोगालाल द्वारा अपना संपूर्ण 44/45 हिस्सा वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दिये जाने से नामान्तरकरण संख्या 844 दिनांक 21–06–2021 द्वारा वादीगण के नाम क्रमशः 44/90, 44/90 दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रत्येक सहखातेदार को अपनी कृषि भूमि का विभाजन कराने का अधिकार है, जिसके आधार पर ही अपने उक्त हिस्से के विभाजन हेतु वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गयी है तथा विभाजन में उनके क्रय शुदा हिस्से अनुसार ही उन्हें भूमि दी गयी है। उक्त भूमि में अपीलान्ट का जो 1/45 हिस्सा था वह उसे विभाजन में दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 18–10–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

दाखुबाई पत्नी भंवरलाल सोलंकी राजपूत पिता भीमसिंह राजपूत, निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द

बनाम

सत्यनारायण पिता चुन्नीलाल पालीवाल पार्टनर नटराज ग्रेनाईट, निवासी छोटी मोरवड़ हाल अरिहन्त नगर, नाथद्वारा रोड़, तह. व जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰......16/2023..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**कुम्भलगढ़**........... मुकाम................मुवर्खे.............18..............माह..............10............2022

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........20....माह........06....सन् 2024 रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अतुल पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री मुकेश तलेसरा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 18–10–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......20.......माह.......06..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर पेशीकर्ता का कुल अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested